

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्र. ~~199~~ / एक-11-1/97 / (S.W.)

जबलपुर दिनांक ~~24~~ फरवरी, 2024

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 28 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर आदेश के अनुसार श्री मनमोहन सिंह कौरव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को पदोन्नत कर पन्द्रहवां व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर तथा सुश्री रेशमा खातून प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिहोरा जबलपुर को प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिहोरा बनाये जाने के फलस्वरूप कार्य विभाजन पत्रक में आंशिक संशोधन किया जाना है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 85 में दर्शित न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), सिहोरा के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।
02. सरल क्र. 84 में दर्शित न्यायालय श्रीमती सविता ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), सिहोरा के स्थान पर सुश्री रेशमा खातून प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), सिहोरा प्रतिस्थापित किया जाता है।
03. सरल क्र. 62 में दर्शित न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-02 को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।
04. सरल क्र. 53 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर पन्द्रहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर प्रतिस्थापित कर कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 व 02 विषयक जोड़ा जाता है।

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
02. 0 से 5,000/- रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्प्रतिक वाद जो नगर निगम से उद्भूत हुए हों।

(आलोक अवस्थी)

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर

जबलपुर दिनांक ~~26~~ फरवरी, 2024

पृष्ठा. क्र. ~~336~~ / एक-11-1/97 / (S.W.)

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03- .....जबलपुर
- 04- फाइलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर/सिहोरा
- 05- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर/सिहोरा  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर